Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Encroachment Revision Case No.-58/2024]

Bachelal Kamat & Others.....Appellant

Versus

The State of Bihar & Others .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	15.4.2026	**आदेश** यह पुनरीक्षण वाद न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा अतिक्रमण अपील वाद संख्या-05/2005 में दिनांक-10.2.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत जमीन का विवरण निम्न है :-	

अंचल	मौजा	खाता	खेसरा
सुपौल	एकमा	540	1551
			1552

दिनांक-04.4.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। पुनरीक्षणकर्त्ता का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है।

आवेदकगण का कहना है कि प्रश्नगत विवादित जमीन पुराना खाता संख्या- 540, पुराना खेसरा संख्या-1551, 1552, कुल रकवा-01 बीघा 15 कट्ठा 01 धूर जमीन गोठ बरूआरी, मौजा-एकमा, जिला-सुपौल में स्थित है। उनका कहना है कि खतियान में खाता संख्या-540 परसी कामत, पिता-तिलकेश्वर कामत, तौफि कामत, चुलाय कामत, चुमन कामत, पिता-टेकनाथ कामत एवं सोनाय कामत, पिता-जयराम कामत के नाम से दर्ज है। उनका कहना है कि सोनाय कामत नाबल्द थे। तथा यह कि प्रश्नगत खाता खेसरा का कुल रकवा-01 बीघा 15 कट्ठा 01 धूर दो भागों में बांटा गया। जिसमें परसी कामत को पश्चिम से 17 कट्ठा 10 धूर 0.5 धूरकी जमीन एवं तौफि कामत, चुलाय कामत, चुमन कामत, पिता-टेकनाथ कामत को पूरब से 17 कट्ठा 10 धूर 0.5 धूरकी प्राप्त है। उनका कहना है कि दिनांक-13.8.1962 को रामेश्वर कामत, पिता-बिहारी लाल कामत, अनन्दी कामत, पिता-दुखन यादव कामत, जामुन कामत, पिता-कान्तलाल कामत, सत्यदेव कामत, छट्ठू कामत, पिता-संतलाल कामत, सुभाषलाल कामत, पिता-सिले कामत, श्रीमती कमलावती देवी, पति-सुन्दर कामत द्वारा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को परसी मिडिल स्कूल एकमा हेतु Conditional Gift किया गया। जिसमे यह शर्त थी कि यदि विद्यालय की स्थापना नहीं हुई या विद्यालय क्षतिग्रस्त पाया गया तो प्रश्नगत जमीन दानकर्त्ता को पुनः प्राप्त हो जायेगी। उनका कहना है कि जमीन दाता परसी कामत के वारिसान हैं। तथा दानकर्त्ता द्वारा परसी मध्य विद्यालय, एकमा के स्थापना हेतु प्रश्नगत जमीन दान की गयी थी। तथा यह कि परसी मध्य विद्यालय एकमा का भवन क्षतिग्रस्त हो गया तथा पुनः प्रश्नगत जमीन दानकर्त्ता के नियंत्रण में आ गया। दान की गयी अधिकतर जमीन दानकर्त्ता के वारिसान द्वारा विक्रय कर दिया गया है। उनका कहना है कि उक्त विद्यालय हेतु पश्चिम से जमीन दान की गयी थी। जबकि अपीलार्थी का जमीन पूरब में अवस्थित है जो दान नहीं किया गया है। तथा यह कि वर्त्तमान में खेसरा संख्या-1551 तथा 1552 में परसी मध्य विद्यालय अवस्थित नहीं है। Conditional Gift के मुताबिक विद्यालय नहीं होने की स्थिति में उक्त जमीन पर उनका दावा होना चाहिए। उनका कहना है कि निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत नहीं है।

15.4.2026

तदनुसार उनके द्वारा निम्न न्यायालय के प्रश्नगत आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि अपीलार्थी के पूर्वज के द्वारा निबंधित दस्तावेज के माध्यम से वर्ष-1962 में प्रश्नगत जमीन विद्यालय हेतु दान दिया गया। अपीलार्थी की ओर से Conditional Gift के अपने दावे के समर्थन में संगत साक्ष्य/कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। संगत प्रावधानों के अनुसार विद्यालय अथवा अन्य सार्वजनिक कार्य हेतु निबंधित दस्तावेज द्वारा दान की गई जमीन पर दानकर्ता के वारिसान द्वारा कालांतर में दावा किया जाना विधिमान्य नहीं है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। अतः इस पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है। तथा अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल को आदेश दिया जाता है कि विद्यालय के अतिक्रमित भूमि को एक माह के अंदर विहित प्रक्रिया अपनाते हुए खाली कराना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

15/4/2026.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।

15/4/2026.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।